



**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक :- एफ 1(7)(01096)डीपीसी/सान्याअवि/2025

जयपुर, दिनांक :- यथा ई-हस्ताक्षरित

**—: आदेश :-**

विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 29.08.2024 को आयोजित बैठक में वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति से डेफर कार्मिक के अभिलेख पूर्ति किये जाने पर दिनांक 08.01.2025 को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति पर विचार किया गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में कार्मिक के अभिलेखों का अवलोकन करने पर समिति द्वारा डेफर निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों के अभिलेख पूर्ण होने पर पदोन्नति हेतु अनुशंषा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष/दिनांक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	श्रेणी	चयन वर्ष व दिनांक	विशेष विवरण
<b>गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP)</b>				
1.	श्री जगदीश चन्द्र कुमावत	UR	2023-24 / 01.04.2023	—
2.	श्री रामप्रसाद कीर	UR	2023-24 / 01.04.2023	—
3.	श्री लोकेश	UR	2023-24 / 01.04.2023	—
4.	सुश्री पूजा मीणा	ST	2023-24 / 11.08.2023	—
5.	श्री मंगलेश कुमार मीणा	ST	2023-24 / 11.08.2023	—
6.	श्री रविन्द्र मीणा	ST	2023-24 / 11.08.2023	—
7.	श्री विवेक कुमार मीणा	ST	2023-24 / 11.08.2023	—
<b>अनुसूचित क्षेत्र (TSP)</b>				
8.	श्री जतिन पटेल	UR	2023-24 / 01.04.2023	—

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा पदोन्नति पद पर पदस्थापन के आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे एवं पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(केसरलाल मीणा)

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

क्रमांक :- एफ 1(7)(01096)डीपीसी/सान्याअवि/2025

जयपुर, दिनांक :- यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, .....
5. संस्थापन अधिकारी (संस्थापन/सामान्य)/पेंशन/लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।



6. संस्थापन प्रशाखा (पी.-3), मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) को वेबसाईट पर संधारित किये जाने हेतु।
7. संबंधित कार्मिक श्रीमती/श्री.....।
8. व्यक्तिगत पत्रावली श्रीमती/श्री .....।
9. आदेश पत्रावली।

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)